राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 193/2022 जीसीएमएस नम्बर :– 2022/553

शिवकुमार पुत्र जगमाल सिंह उम्र 37 वर्ष जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

.... वादी

– बनाम –

1. अजीत सिंह यादव पुत्र धर्मपाल यादव जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
2. कैलाशचन्द पुत्र प्रभुदयाल जाति अहीर निवासी लाम्बी अहीर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
3. छोटा देवी पत्नि धर्मवीर जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला-झुन्झुनू (राज.)
4. भरतराज पुत्र किशनलाल जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
5. राजेन्द्र कुमार पुत्र हीरालाल जाति अहीर निवासी बडबर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
6. राजबाला देवी पत्नि विक्रमसिंह जाति अहीर निवासी बडबर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
7. विकाश कुमार पुत्र अभयसिंह जाति अहीर निवासी खटकड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)
8. संतोष देवी पत्नि पवन कुमार जाति अहीर निवासी बडबर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
9. सुन्दरपाल पुत्र शिवराम जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
10. सन्दीप कुमार पुत्र शिवराम जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
11. सुनिल कुमार पुत्र रामकुमार जाति अहीर निवासी गोद की ढाणी तन बडबर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
12. सविता देवी पत्नि पालाराम जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
13. हवासिंह पुत्र पालाराम जाति अहीर निवासी गून्ती तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
14. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

.... प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा – खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

–:निर्णयः–

दिनांक – 20/5/24

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपस्थिति –

1. श्री मनु यादव , अधिवक्ता – वादी की ओर से ।
2. श्री विजयपाल यादव, अधिवक्ता – प्रति. सं. 6, 8 की ओर से ।
3. शेष प्रतिवादीगण अनुपस्थित ।

वादीगण की ओर से वाद पत्र रहा कि :–

1. यह कि वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 2712/1695 रकबा 2.3468 हैक्टर में वादी का 64463/2346800 हिस्सा, प्रति.सं. 1 का 2050/5867 हिस्सा, प्रति.सं. 2 का 10515/93872 हिस्सा, प्रति.सं. 3 का 325/5867 हिस्सा, प्रति. सं. 4 का 275/5867 हिस्सा, प्रति.सं. 5 का 75/5867 हिस्सा, प्रति.सं. 6 का 75/5867 हिस्सा, प्रति.सं. 7 का 10515/93872 हिस्सा, प्रति.सं. 8 का 75/5867 हिस्सा, प्रति.सं. 9 का 133949/4693600 हिस्सा, प्रति.सं. 10 का 10515/187744 हिस्सा, प्रति.सं. 11 का 253/23468 हिस्सा, प्रति.सं. 12 का 300/5867, प्रति.सं. 13 का 10515/93872 हिस्सा है सभी खातेदार अपने–अपने हिस्से पर शान्तिपूर्वक काबिज कास्त है। अभी तक इसका खाता विभाजन वादी व प्रतिवादी स. 1 लगायत 13 के बीच नही हुआ हैं।
2. यह कि वादी का वाद वर्णित भूमि हाल ख.न. 2712/1695 रकबा 2.3468 हैक्टर में वादी का 64463/2346800 हिस्सा है जिस पर वादी काबिज हैं वादी अपने हिस्से की भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ समपरिवर्तन करवाना चाहता है जिसके लिये वादी अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन करवाना चाहा तो इस भूमि के सभी खातेदार एक साथ एकत्रित होकर सहमति से खाता विभाजित करवाने के लिए एकत्रित नही हो सकते है।

वादी ने वाद पत्र पेश कर अनुतोष चाहा किः–

(क) कि वाके ग्राम ख.न. 2712/1695 रकबा 2.3468 हैक्टर में वादी का 64463/2346800 हिस्सा का खाता रास्ते का प्रावधान करते हुये विभाजित कर लगान अलग से कायम कर वादी का विभाजन मे आने वाले भाग का मापन एवं सीमाकन कर स्वतन्त्र रूप से कब्जा कास्त करवाया जाने कि कृपा करें।

दावा दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई प्रतिवादी सं. 6 व 8 की ओर से श्री विजयपाल एडवोकेट उपस्थित आये तथा शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामिल होने पर अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ दिनांक 18.01.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई प्रति. सं. 6, 8 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित आये जिन्होने अपना जवाबदावा मय प्रतिदावा निम्न अभिवचनों के साथ पेश किया कि–

प्रतिदावा – बाबत खाता विभाजन :–

1. यह कि वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 2712/1695 रकबा 2.3468 हैक्टर में वादी का 64463/2346800 हिस्सा, प्रति.सं. 1 का 2050/5867 हिस्सा, प्रति.सं. 2 का 10515/93872 हिस्सा, प्रति.सं. 3 का 325/5867 हिस्सा, प्रति. सं. 4 का 275/5867 हिस्सा, प्रति.सं. 5 का 75/5867 हिस्सा, प्रति.सं. 6/

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्रतिदावाकर्ता का 75/5867 हिस्सा, प्रति.सं. 7 का 10515/93872 हिस्सा, प्रति.सं. 8/ प्रतिदावाकर्ता का 75/5867 हिस्सा, प्रति.सं. 9 का 133949/4693600 हिस्सा, प्रति.सं. 10 का 10515/187744 हिस्सा, प्रति.सं. 11 का 253/23468 हिस्सा, प्रति.सं. 12 का 300/5867, प्रति.सं. 13 का 10515/93872 हिस्सा है सभी खातेदार अपने–अपने हिस्से पर शान्तिपूर्वक काबिज कास्त है। अभी तक इस भूमि का खाता विभाजन प्रतिदावाकर्ता/ प्रतिवादी सं. 6 व 8 तथा वादी एवं शेष प्रतिवादीगण के बीच नही हुआ हैं।

2. यह कि प्रतिदावा के खण्ड नं. 1 में वर्णित भूमि हाल ख.न. 2712/1695 रकबा 2.3468 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 6/ प्रतिदावाकर्ता का 75/5867 हिस्सा, प्रति.सं. 8/ प्रतिदावाकर्ता का 75/5867 हिस्सा है जिस पर प्रतिदावाकर्ता काबिज कास्त हैं प्रतिवादी सं. 6 , 8/ प्रतिदावाकर्ता अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन करवाना चाहते हैं ।

अतः प्रतिदावा पेश कर निवेदन हैं कि :–

(क) कि वाके ग्राम बुहाना ख.न. 2712/1695 रकबा 2.3468 हैक्टर में प्रति. सं.6/ प्रतिदावाकर्ता का 75/5867 हिस्सा का प्रतिदावाकर्ता 75/5867 हिस्सा, प्रति.सं. 8/ प्रतिदावाकर्ता का 75/5867 हिस्सा का खाता रास्ते का प्रावधान करते हुये विभाजित कर लगान अलग से कायम किये जाने कि कृपा करें।

वादी की ओर से वकील वादी ने निवेदन किया की प्रतिदावा कर्ता ने भी विभाजन चाहा है वादी का दावा भी विभाजन का हैं इसलिए दोनों पक्षों की भूमि के रास्ते का प्रावधान करते हुये अंतिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया पक्षकारों के अभिवचनों एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया वाद वर्णित भूमि के वादी व प्रतिवादी सं. 6 व 8 रिकार्डेड खोतेदार है एवं दोनों ही पक्ष अपनी – अपनी भूमि का खाता विभाजन चाहते है इसलिए वादी व प्रतिवादी सं. 6, 8 की भूमि का खाता विभाजन किया जाना न्यायोचित है।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 5, 7 व 9 लगा. 13 की दिनांक 18.01.2023 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.02.2023 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 131 दिनांक 22.02.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 3104 दिनांक 13.10.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने ऐतराज पेश नही किया है।

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र , दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई एतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 2712/1695 में वादी व प्रतिवादी संख्या 6 व 8 का दर्ज हिस्से अनुसार वाद को अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

— :: आदेश ::—

'' न्यायालय वाद **वादी व प्रतिदावा प्रतिवादी 6, 8** बाबत खाता व लगान विभाजन को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना स्थित भूमि खाता संख्या 753 के ख.न. 2712/1695 रकबा 2.3468 हैक्टर में वादी व प्रतिवादी संख्या 6, 8 का वाद पक्षकारान का खाता विभाजन कर लगाान अलहेदा कायम किए जाने का आदेश दिया जाता है। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 131 दिनांक 22.02.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 3104 दिनांक 13.10.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 20/5/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 193/2022 जीसीएमएस नम्बर :– 2022/553

शिवकुमार बनाम अजीत सिंह यादव आदि

<u>दावा – खाता विभाजन</u>

वादी की ओर से **श्री मनुयादव एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 6, 8 की ओर से **श्री विजयपाल यादव एडवोकेट** की उपस्थिति में तथा शेष प्रतिवादीगण अनुपस्थिति में इस वाद को **श्री हेमन्त कुमार उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी व प्रतिदावा प्रतिवादी 6, 8 बाबत खाता व लगान विभाजन को डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना स्थित भूमि खाता संख्या 753 के ख.न. 2712/1695 रकबा 2.3468 हैक्टर में वादी व प्रतिवादी संख्या 6, 8 का वाद पक्षकारान का खाता विभाजन कर लगाान अलहेदा कायम किए जाने का आदेश दिया जाता है। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "'अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह आज तारीख ....20/05/24.... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)